कार्यालयः प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़

फोन नं0. 05463-235020, फैक्स नं0-05463-235194,
वेबसाइट–www.gmcazamgarh.com

संख्याः–   /रा0मे0का0आ0/एस0पी0एस0/2020   दिनॉक –10/07/2020

आवश्यक सूचना

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के पत्र सं0–एम0ई0–1/2020/2026, दिनांक–17/06/2020 के तारतम्य में निकट भविष्य में कोविड रोगियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेलिटी हॉस्पिटल, आजमगढ़ (लेवल–3) में मानक के अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधन (स्टॉफ नर्स, वार्ड ब्याय, सफाई कर्मी, डायलिसिस टेक्नीशियन/वेन्टीलेटर टेक्नीशियन/प्रशिक्षण मानव संसाधन आदि) उपलब्ध कराये जाने हेतु E.O.I. (Expression of Intrest) के आधार पर वेण्डर इम्पैनल करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक निविदादाता फर्म/वेन्डर, जो उपरोक्त श्रेणी के मैन पावर की आपूर्ति करने हेतु इच्छुक है, वे अपने प्रस्ताव, 07 दिवस के अन्दर तक पंजीकृत डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। आपूर्ति किये जाने वाले मैन पावर की संख्या, मरीजों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार निर्धारित की जायेगी। नियम व शर्तें कालेज की वेबसाइट– www.gmcazamgarh.com पर उपलब्ध है।

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज
आजमगढ़।

संख्याः–970/तद्दिनांक........................।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महोदय को इस अनुरोध के साथ कि विभागीय वेबसाइट पर इस E.O.I. (Expression of Intrest) को प्रकाशित करवाने की कृपा करें।
3. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4. चिकित्सा अधीक्षक/सहायक चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेलिटी हास्पिटल, आजमगढ़।
5. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय के साथ कि विभागीय वेबसाइट पर इस E.O.I. (Expression of Intrest) को प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज
आजमगढ़।

Scanned with CamScanner

कार्यालयः प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़

फोन नं0. 05463-235020, फैक्स नं0-05463-235194,
वेबसाइट–www.gmcazamgarh.com

संख्याः– 979 /रा0मे0का0आ0/एस0पी0एस0/2020 दिनॉक –10/07/2020

सामान्य/आवश्यक शर्ते

1. आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर के ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर को किसी राजकीय मेडिकल कालेज या जिला चिकित्सालय में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने का अनुभव प्रस्तुत करना होगा।
3. आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर द्वारा तैनात किये जाने वाले मानव संसाधन को एन0एच0एम0 दर पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा। यह डायलिसिस टैक्नीशियन/वेन्टीलेटर टैक्नीशियन/प्रशिक्षित मानव संसाधन हेतु रू0–16376.00 प्रतिमाह की दर से होंगी।
4. आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर को चिकित्सालय की आवश्यकतानुसार शार्ट नोटिस पर मैनवापर उपलब्ध करानी होगी।
5. आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर को अनुबन्ध के समय धरोहर/जमानत धनराशि रू0–1.00 लाख का एफ0डी0आर0 प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के पक्ष में बन्धक हो, निर्गत कराते हुये कार्यालय जमा करनी होगी।
6. आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर को आपूर्ति किये गये मैन पावर से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें (ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 आदि समस्त कटौती आदि) स्वयं निर्वाहन करनी होगी एवं स्वयं नियमानुसार कर्मचारियों के खाते में जमा करायेगा।
7. आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर का ई0पी0एफ0एस0आई0 में पंजीयन होना अनिवार्य होगा। जिसका साक्ष्य प्रस्ताव में प्रस्तुत करना होगा।
8. आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर द्वारा आपूर्ति किये गये मैन पावर से सम्बन्धित चरित्र सत्यापन/प्रशिक्षु अर्हता/शैक्षिक योग्यता आदि दस्तावेजों का स्वयं सत्यापन करना होगा, यदि किसी भी प्रकार की कोई कूटरचित दस्तावेज या कोई कर्मचारी आपराधिक प्रवृत्ति का पाया जाता है या इस प्रकार का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है, तो आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर का होगा।
9. विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय अधोहस्तोक्षरी का होगा, जो सभी को मान्य होगा। न्यायिकधिकारी क्षेत्र आजमगढ़ न्यायालय में होगा।
10. आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर कार्य को किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को स्थानांन्तरित/सबलेट नहीं कर सकेगा।
11. मा0 न्यायालय द्वारा दण्डिता/मा0 न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक मामले अथवा आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं/वेन्डर को निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी या इस सम्बन्ध में किसी अन्य माध्यम से विभाग को सूचना प्राप्त होती है, कि निविदाता का कोई मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है या निविदादाता को कोई आपराधिक रिकार्ड है, तो तत्काल निविदादाता की निविदा/अनुबन्ध को निरस्त कर, विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
12. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कॉउन्सिल में पंजीकृत हो उसे निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
13. ऐसी फर्म जो किसी शासकीय/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा दण्डित हो/काली सूची में डाल दी गयी हो अथवा काली सूची में डालने की कार्यवाही लम्बित हो, निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी फर्म जो मा0 न्यायालय द्वारा दंडित हो एवं मा0 न्यायालय में फर्म के विरूद्ध मामले लम्बित हो, निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
14. आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर को मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/गाइड लाइन का पालन करना होगा।
15. निविदादाता को आपूर्ति/कार्य के सापेक्ष कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। आपूर्ति/कार्य का देयक तीन प्रतियों देना होगा जिसे यथा–शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा, बशर्ते कि बजट उपलब्ध रहे। भुगतान में बिलम्ब के कारण निविदादाता आपूर्ति/कार्य को नहीं रोकेगा। यदि ऐसा करेगा तो, उसे अनुबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा। इसके साथ ही भुगतान की विलम्ब की स्थिति में किसी भी प्रकार के ब्याज की मॉग, आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा नहीं की जायेगी।

प्रधानाचार्य

Scanned with CamScanner